कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः– दिनांकः–

ई–निविदा सूचना

U. B. No. DLB2223SLOB25134

नगर निगम जोधपुर दक्षिण में नगर निगम के कार्यों हेतु आवश्यकता होने पर मांग अनुसार संख्या में चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर उपलब्ध करवाने के कार्य हेतू निविदा शर्तो अनुसार दो वर्ष के लिए अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते www.eproc.rajasthan.gov.in] www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांकः– 3504-3515 दिनांकः– 06/01/2023

प्रतिलिपिः–

1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2 अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3 उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5 अधिशाषी अभिंयता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
6 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs , www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9 सहायक अभियंता (यांत्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
10 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
11 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांकः– 3504 दिनांकः– 06/01/23

ई–निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मो/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	10/01/2023	05.00PM
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	11/01/2023	11.30 AM
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01/02/2023	3.00 PM
निविदा शुल्क/धरोहर राशि /ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी. डी/बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज प्रभारी कक्ष दक्षिण नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01/02/2023	3.30 PM
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	01/02/2023	4.00 PM

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रकिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1	जोधपुर नगर निगम दक्षिण में नगर निगम के कार्यो हेतु आवश्यकता होने पर मांग अनुसार संख्या में चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मय चालक/ऑपरेटर, संचालन एवं रखरखाव, POL सहित के कार्य हेतू दर संविदा।	100.00 लाख	2,00,000/–	2,000/–	1,000/–	दो वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी/बैंकर चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	2000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	2,00,000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	1,000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

जोधपुर नगर निगम दक्षिण में दो वर्ष के लिए चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु दर संविदा

1 **कार्य** :–

1. जोधपुर नगर निगम दक्षिण में नगर निगम के कार्यो, मानसून पूर्व नाला सफाई/नहर सफाई तथा विशेष अतिक्रमण अभियान, मानसून के दौरान आपातकालीन स्थिति में/आपदा प्रबंधन के कार्य हेतु आवश्यकता होने पर मांग अनुसार संख्या में चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर उपलब्ध करवाने होंगें। आवश्यकता होने पर चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मय डोजर ब्लेड भी उपलब्ध करवाना होगा।
2. उक्त कार्य हेतु दो वर्ष के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

2 **निविदा प्रस्तुत करना** :–

1 निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिकी बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।

2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

"आयुक्त"
नगर निगम जोधपुर दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com)

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):–

....

....

3. **संवेदक की पात्रता** :–

3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चैक की स्केन प्रति।

3.2 निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।

3.3 फर्म का गत 3 वर्षो में औसत टर्न ओवर 30.00 लाख रूपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरुप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षो की सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स सीट की स्केन प्रति।

3.4 संवेदक / फर्म के स्वयं के नाम कम से कम एक चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का पंजिकृत स्वामित्व तथा आवश्यकता होने पर मांग अनुसार अन्य सभी चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर को उपलब्ध करवाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी वाहन 2016 मॉडल या उसके बाद के होने चाहिए। मशीन इससे पूर्व के मॉडल स्वीकार योग्य नहीं है।

3.5 फर्म को पिछले 5 वर्षो में से किन्ही दो वर्षो (दोनों वर्ष मिलाकर) में न्यूनतम रूपये 60.00 लाख की राशि तक चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर उपलब्ध करवाने के कार्य का किसी राजकीय विभाग / स्वायतशासी संस्था / नगर निगम आदि में अनुभव होना चाहिये। इसके साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की स्केन प्रति निविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता या इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी के द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रस्तुत तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.6 किसी भी तरह का Joint Venture या फर्म के एक से अधिक पार्टनर होने पर अनुबंध एवं निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के लिये दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी जमा करवाना होगा तथा
   (क) संवेदकों एवं फर्मो / व्यक्तियों के पंजिकृत अनुबन्ध की सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिये।
   (ख) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकार पत्र, सभी पार्टनरस् का हस्ताक्षर किया हुआ, प्रस्तुत करेगा।
   (ग) जोईन्ट वेन्चर के रुप में प्रत्येक पार्टनर संविदा कार्य को करने के लिए संयुक्त रुप से उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्येक पार्टनर व्यक्तिगत रुप से भी कार्य के लिए विधिक रुप से उत्तरदायी होगें।
   (घ) सफल संवेदक होने की स्थिति में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने व अन्य कार्य करने के लिए अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   (ड) जोईन्ट वेन्चर के अनुबन्ध में मुख्य व्यक्तियों की जिम्मेदारियो, संसाधनों एवं कार्य के लिये वितीय स्थिति की पूर्ण जानकारी अंकित की जानी चाहिए।

3.7 निविदादाता फर्म / संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय / अर्द्वसरकारी कार्यालय / नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नही होना चाहिये तथा फर्म / संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम दक्षिण में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम दक्षिण में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्केन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

3.8 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।

3.9 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।

3.10 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 10 तक निर्धारित तकनिकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। अपलोड किये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में निविदा समिति निविदादाता से स्पस्टीकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनिकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वितिय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. सामान्य शर्तें :–

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी. / बैंकर्स चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।

3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नही है।
4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे सबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें।
5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वितीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नही होगी। प्रस्तुत दरें जी. एस.टी. के अतिरिक्त सभी करों सहित होगी ।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो, विवरण पर संशय होने पर निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों मे जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होगें। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. संविदा की अवधि दो वर्षो की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियॉ होने पर किसी भी समय निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
10. नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा।
11. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :–
    (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।
    (ख) निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैक की बैक गारण्टी/शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
    (ग) नगर निगम बैक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
    (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
    (ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
12. सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।
13. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो जोधपुर नगर निगम दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
14. कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तो की पालना करते हुए मांग अनुसार नगर निगम के कार्य हेतु चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मय चालक/ऑपरेटर उपलब्ध करवाने होगें। वाहन निविदा शर्तो, तकनिकी विवरण के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवश्यकता होने पर चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मय डोजर ब्लेड भी उपलब्ध करवाना होगा।

15. सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।

16. केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगें।

17. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture)**:– प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा–
   (क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।
   (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
   (ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
   (घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

18. निम्न स्थिति मे धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
   (i) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तो में किसी तरह का संशोधन करता है।
   (ii) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
   (iii) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
   (iv) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
   (v) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।

19. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–
   (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नही रखता हो।
   (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
   (3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

20. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए जोधपुर नगर निगम दक्षिण उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्विपत्र/संशोधन ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नही होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।

21. माँगें जाने पर तकनिकी बिड दस्तावेजो की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।

22. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।

23. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नही किया जावेगा।

24. सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षों की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

5. मशीनों एवं संचालकों के सम्बंध में निविदादाता को निर्देश

1. मशीन संचालक अनुभवी/प्रशिक्षित एवं सम्बन्धित श्रेणी की मशीन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चाहिये। इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की शासकीय/विधिक उतरदायित्व या आर्थिक हानि के लिये निविदादाता/मशीन संचालक जिम्मेदार होगा।

2. सभी मशीनों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, मशीन/संचालक का लाइसेन्स आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को संचालक का उपयुक्त बीमा/इन्श्योरेन्स कराना होगा तथा श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मशीन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, मशीन संचालक का लाइसेन्स व मशीन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रतिया गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. संवेदक द्वारा मशीन संचालकों/कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान मशीन संचालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
4. उपलब्ध कराये जाने वाली मशीने अच्छी कन्डीशन एवं मजबूत होना अनिवार्य है। मशीनो का ब्रेक लाइट, बैट्री, HOUR मीटर आदि अच्छी व सही हालत में होना चाहिए। मशीन का बीमा, पी.यू.सी, रोड टेक्स इत्यादि का सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा अन्यथा इसके अभाव मे किसी भी विधिक वाद या विवाद की जिम्मेदारी फर्म की होगी। समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो कॉपी गैराज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
5. कार्यरत मशीनों का माईलोमीटर/HOUR मीटर नियमित रूप से सही रखा जाना आवश्यक है जिसका गैराज अभियन्ताओं या अन्य ऑथोरिटीज द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। सही नहीं पाये जाने पर 500 रू की शास्ती प्रति घटना लगायी जावेगी।
6. प्रत्येक मशीन के आगे पीछे प्लेट लगानी होगी जिस पर "नगर निगम जोधपुर दक्षिण से अनुबंधित" लिखा होना चाहिए। मशीन को गैराज अधिकारी के निर्देशानुसार उपयोगकर्ता अधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर समय पर रिपोर्ट करना होगा। "जोधपुर नगर निगम दक्षिण से अनुबंधित" प्लेट का दुरूपयोग होने पर 5000 रूपये प्रति घटना शास्ती लगाई जायेगी।
7. आवश्यक होने पर अवकाश के दिन भी मशीन को कार्य हेतु बुलाया जा सकता है जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेगा। त्यौहार/उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में कभी भी मशीन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।
8. प्रत्येक वाहन चालक वर्दी धारण करेगा जिसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
9. वाहनों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।

10. <u>मशीन और मशीन चालकों का विवरणः-</u>

(अ) निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गैरेज शाखा में गैरेज प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी।

क्र.स.	मशीन/संचालक का नाम व पता	मशीन चलाने का ड्राइविंग लाइसेन्स नम्बर	लाइसेन्स की वैद्यता दिनांक
1			
2			
3			

वाहनों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।

(ब) उपलब्ध वाहनों का विवरणः-

क्र.स.	मशीन/वाहन मेक	हॉर्स पावर (BHP)	पंजीकृत मशीन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	मशीन मॉडल वर्ष	मशीन मालिक का नाम

11. सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम अधिकारियों को सभी मशीनों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। भौतिक सत्यापन कराये बगैर एवं बिना निरीक्षण मशीन कार्य पर लगाने पर किराया देय नहीं होगा।

6. कार्यविधि, कार्य प्रमाणन एवं भुगतानः–

1. आवश्यकता होने पर आयुक्त/गैरेज प्रभारी के निर्देशानुसार मांग अनुसार संख्या में चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मय ऑपरेटर किसी भी समय किसी भी जोन में जोन के मुख्य सफाई निरीक्षक/उपयोगकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करवाने होगें।
2. मशीन की दैनिक लोगबुक मशीन के साथ रखी जायेगी। लॉगबुक का संधारण मशीन चालक को करना होगा जिसमें मशीन को उपयोग में लेने वाले अधिकारी (नाम, पद नाम, मोहर सहित) द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का प्रमाणिकरण किया जायेगा।
3. सफाई कार्य एवं अन्य कार्यो का निर्धारण नगर निगम के अधिकृत अधिकारी करेगें उसी अनुसार कार्य करना होगा।
4. मशीन की वर्किंग का तात्पर्य मशीन के सम्बन्धित कार्य पर कार्यरत रहने से है एवं आयडल का आशय साईट/कार्यालय में अकार्यशील रहने से है।
5. चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के कार्यस्थल पर पहुँचने के पश्चात् उपयोग में लेने वाले अधिकारी से लोगबुक में प्रमाणित करवाना होगा। इसके साथ ही Idle समय के दावे को भी सम्बधित उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा।
6. निविदादाता लॉग बुक को भरे जाने एवं सक्षम अधिकारी उपयोगकर्ता से प्रमाणित कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।
7. मशीन पर जी.पी.एस लगा होना आवश्यक है तथा बिलों का भुगतान GPS कमेटी/अधिकृत अधिकारी द्वारा जॉच कर प्रस्तुत की गई GPS रिपोर्ट के आधार पर उपयोगकर्ता अधिकारी से लोगबुक में प्रमाणिकरण का मिलान करके किया जायेगा। मिलान पश्चात् न्यूनतम का भुगतान किया जायेगा।
8. GPS रिपोर्ट और उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा लोगबुक में प्रमाणीकरण अनुसार हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का एक दिन में अधिकतम 8 घण्टों का ही भुगतान किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में आयुक्त/गैरेज प्रभारी के निर्देशानुसार ही एक दिन में 8 घण्टों से अधिक कार्य करना होगा। आवश्यक होने पर मशीनों का रात्रि एवं राजकीय अवकाश में भी उपयोग किया जा सकेगा। मशीन को साईट तक परिवहन करने हेतु ट्रेलर की व्यवस्था संवेदक स्वयं को करनी होगी जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। दरें परिवहन सहित होगी।
9. कार्य के दौरान मशीन खराब होने एवं रिपेयर में होने की स्थिति में Idle समय का भुगतान देय नहीं होगा।
10. संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान (अगर लागु हो) की राशि सम्बंधित विभाग में जमा कराने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. संवेदक को साइट पर कार्य के अनुसार विभिन्न साईज के एक्सकेवेटर काम में लेने होगें।

7. तकनिकी विवरण :–

1. 80-90 HP Engine Power तक एक्सकेवेटर की बकेट केपेसिटी $0.25m^3$ से $0.85m^3$ तथा Minimum 132 HP Engine Power तक एक्सकेवेटर की बकेट केपेसिटी $0.86m^3$ से $1.5\ m^3$ तक की होनी चाहिये तथा उपरोक्त केपेसिटी की मशीन के साथ आवश्यकता अनुसार Excavetor उपलब्ध करवानी होगी। मशीन के सभी पार्टस, एसेसरीज उपरोक्त इंजन पावर एवं बकेट केपेसिटी की क्षमता के अनुसार होने चाहिये।
2. उक्त समस्त मशीन तकनिकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होनी चाहिए जिनका कार्य के समय कभी भी अवलोकन नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

3.' सभी मशीनों पर GPS लगा होना आवश्यक है।
4. मशीन के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, बैटरियॉ, डीजल, ऑयल, ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत, चालक एवं मशीनों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होंगे।
5. उपलब्ध करवायी गयी मशीने तकनिकी स्तर पर आधारभूत शर्तों से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनिकी रूप से आधारभूत शर्तों अनुसार ही माना जायेगा।
6. कैरू डम्पिंग स्टेशन में वर्षा के समय या नगर निगम के अन्य कार्यो के लिए आवश्यकता होने पर संवेदक को मशीनों की केपेसिटी के अनुसार Dozer Blade लगाना होगा।

8. **निगम शक्तियॉ एवं शास्तियॉ :–**

1. मांग अनुसार मशीनें उपलब्ध नहीं करवाने या आदेशित संख्या से कम संख्या में मशीनें उपलब्ध करवाने पर प्रतिदिन प्रतिमशीन किराये की राशि की 50% राशि शास्ती के रूप में काटी जायेगी। एवं उस दिन का किराया देय नही होगा। मशीनें उपलब्ध नही करवाने पर संवेदक की रिस्क व कोस्ट पर नगर निगम बाजार से मशीनें लेने हेतु स्वतंत्र है। इस स्थिति में अन्तर राशि संवेदक से वसूल की जायेगी।
2. मशीन का उपयोग नगर निगम से संबधित कार्यो, आपदा प्रबन्धन एवं अन्य कार्यो के लिए दिन एवं रात में एवं वर्ष के किसी भी दिन अथवा कभी भी आवश्कतानुसार लिया जायेगा जिसकी उपलब्धता निविदादाता सुनिश्चित करेंगे। लिखित अथवा दूरभाष पर प्रेषित मौखिक मांग के अनुसार आपूर्ति में निविदादाता के विफल रहने पर नगर निगम द्वारा फर्म के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
3. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई मशीन के वांछित आउटपुट नहीं देने की स्थिति में उस दिन के किराये की 25: शास्ती काटते हुए उस दिन का किराया देय नही होगा मांग पर मशीन उपलब्ध नही कराने पर रिस्ट एण्ड कोस्ट पर अन्यत्र से भी मशीन की आपूर्ति ले सकते है। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी
4. ड्युटी पर तैनात कोई भी मशीन चालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नही करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नही लिया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी मशीन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होगें। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर रू 500/– प्रति मशीन चालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काटी जायेगी। गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त चालक को बदलना होगा। मशीन चालक के विरूद्व मोटर मशीन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। संवेदक द्वारा उपलब्ध मशीन चालक का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार मशीन चालक को बदलना होगा।
5. यदि किसी दिन उपयोगकर्ता अधिकारी संचालक के खराब संचालन/आदेशों की अवहेलना/जानबूझकर मशीन /मशीन के लेट रिपोर्ट करने/निर्देशों के बाद भी गन्तव्य पर इन्तजार नहीं करने/लेट रिपोर्ट करने/यूजर अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय से पूर्व चले जाने इत्यादि की रिपोर्ट करते है तो 1000 रूपये की शास्ति प्रति घटना वसूल की जायेगी
6. निरन्तर कार्य में मशीन को नगर निगम जोधपुर आवश्यकतानुसार निर्धारित स्थान पर पार्किग करवा सकेगा जिससे आपातकाल में मशीन की आवश्यकता पडने पर तुरन्त मशीन का उपयोग किया जा सके। पार्किंग करवाये जाने की स्थिति में मशीन की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार का दायित्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण का नहीं होगा।
7. प्रत्येक मशीन का बिल अगले माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर 2 प्रतिशत राशि पेनल्टी के रूप में काटी जायेगी।
8. अगले महीने की लोग बुक 25–30/31 तारीख तक गैरेज प्रभारी से हस्ताक्षर करवाकर जारी करवानी होगी।
9. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किसी भी समय मशीनों/मशीनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होगें।
10. आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति से मशीन नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र से बाहर भी भिजवाया जायेगा। पालना नहीं होने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा रूपये 5000/– प्रति

मशीन प्रतिदिन की शास्ती लगाई जायेगी। नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र से बाहर भिजवानें पर नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर प्रति किलोमीटर के अनुसार परिवहन का खर्चा बाजार दर अनुसार संवेदक को भुगतान किया जायेगा।

11. आवश्यकता होने पर मशीनों की संख्या बढाई जा सकती है। मशीनों की संख्या में/निगम क्षेत्र में बिना कारण बताये कमी करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा।
12. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013, GF&AR तथा वित विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होगें।
14. किसी भी शर्त की पालना नहीं होने पर निविदा शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा।
15. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
16. किसी भी विवाद में आयुक्त/प्रशासक/महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

9. दुर्घटना

9.1 कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, मशीन दुर्घटना या चोरी होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगों के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।

9.2 दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर मशीन से हुई टूट–फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

9.3 दुर्घटना में मशीन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट–फूट होने पर संवेदक दुसरा मशीन उपलब्ध करवायेगा।

10. निविदा प्रपत्र में संशोधन :–

1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।

2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर में नगर निगम के कार्यों, मानसून पूर्व नाला सफाई/नहर सफाई तथा अतिक्रमण अभियान, मानसून के दौरान आपातकालीन स्थिति में कार्य हेतु आवश्यकता होने पर मांग अनुसार संख्या में चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मय चालक/ऑपरेटर, संचालन एवं रखरखाव, POL सहित के कार्य बाबत।

वितीय प्रस्ताव

क.स.	कार्य का प्रकार	दर (GST के अतिरिक्त सभी करों सहित)
1	नगर निगम के कार्यों, मानसून पूर्व नाला सफाई /नहर सफाई तथा अतिकमण अभियान, मानसून के दौरान आपातकालीन स्थिति में कार्य हेतु आवश्यकता होने पर मांग अनुसार संख्या में चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मय चालक/ऑपरेटर, संचालन एवं रखरखाव, POL सहित के कार्य बाबत। **80-90 HP Engine Power, Excavator Bucket Capacity 0.25 m^3 से 0.85 m^3** (दर GST के अतिरिक्त)	**Working Rate** ....रूपये प्रति मशीन प्रतिदिन (8 घण्टे) **Idle Rate** ....रूपये प्रति मशीन प्रतिदिन (8 घण्टे)
2	नगर निगम के कार्यों हेतु, मानसून पूर्व नाला सफाई /नहर सफाई तथा अतिकमण अभियान, मानसून के दौरान आपातकालीन स्थिति में कार्य हेतु आवश्यकता होने पर मांग अनुसार संख्या में चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मय चालक/ ऑपरेटर, संचालन एवं रखरखाव, POL सहित के कार्य बाबत। **Minimum 130 HP Engine Power, Excavator Bucket Capacity 0.86 m^3 से 1.5 m^3** (दर GST के अतिरिक्त)	**Working Rate** ....रूपये प्रति मशीन प्रतिदिन (8 घण्टे) **Idle Rate** ....रूपये प्रति मशीन प्रतिदिन (8 घण्टे)
3.	**रॉक ब्रेकर (Rock Breaker)** **Working Rate**	....रूपये प्रति मशीन प्रतिदिन (8 घण्टे) **Idle Rate** ....रूपये प्रति मशीन प्रतिदिन (8 घण्टे)
4	नगर निगम जोधपुर दक्षिण सीमा क्षेत्र से बाहर भिजवाने पर नगर निगम सीमा क्षेत्र	....रूपये प्रति मशीन प्रतिकिमी परिवहन दर

	से बाहर प्रति किलोमीटर परिवहन की दर	
5	कुल राशि (रूपये में) = इस सारणी की क. सं. 1 + 2+ 3 + 4	....

1.जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होगें। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा।

2. निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी।

3.न्यूनतम दरदाता का निर्धारण उपरोक्त सारणी में प्रस्तुत की गई सभी दरों के योग में जो न्यूनतम होगा, उसके आधार पर किया जायेगा।

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

परिशिष्ट – 'ब'

कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि स्वयं के नाम चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के अतिरिक्त ओर कार्य की आवश्यकतानुसार वाहन/मशीन की मांग होने पर अन्य व्यक्ति/फर्म से लेकर चैन टाईप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर उपलब्ध करा देंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

Jodhpur Municipal Corporation South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to .... *[Enter designation and address of the procuring entity]* for procurement of .... *[Insert name of the Works]* in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 22, बुधवार, शाके 1943-जनवरी 12, 2022
Pausa 22, Wednesday, Saka 1943- January 12, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 12, 2022

G.S.R.398 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 75.- In rule 75 of the said rules,-

(i) in proviso to sub-rule (2), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted; and

(ii) in proviso to clause (f) of sub-rule (3), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted.

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

1936
Government Central Press, Jaipur.

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23-12-2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :---------------------------------------

Name :---

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ---------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]